

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2388 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह प्रकाशित करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा एक सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2388 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक प्रावधान और उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक है तथा रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर पंचायत की वर्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, बिक्रमगंज कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/3/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 30/3/17

संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2388 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

29/3/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 30/3/17

सं संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2388 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/3/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 30/3/17

संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2388 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/3/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

M
Ranjan

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-107/2016 2389 अधिसूचना संख्या-
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
दिनांक- 29/3/17 का निम्नलिखित
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Notification

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 2389 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those persons who are likely to be affected by it and a notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received in the period of the draft publication through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 2389 In Exercise of powers conferred by sub section (1) (b) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act and the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat, Bikramganj and its present boundaries within the district of Rohtas shall be called Nagar Parishad, Bikramganj.

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar
(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department
UD&HD Dated:- 30/3/17

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 2389

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department
UD&HD Dated:- 30/3/17

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 2389

Copy to All Departments/All Departmental Heads/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Rohtas/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department
Dated:- 30/3/17

Memo No-5 N.Vi/Vi-107/2016 2389 UD&HD

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department